UPSR010005182024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–निर्दोष कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1659

<u>सत्र वाद संख्या–108/2024</u>

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––अभियोगी/वादी।

बनाम

1–राहुल पुत्र भुज्जी उम्र–24 वर्ष

2– पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश पुत्र केवल सिंह उम्र–33 वर्ष

3– सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ पुत्र विश्राम उम्र–26 वर्ष निवासी शंकर नगर भरथारोशनगढ़, थाना मल्हीपुर श्रावस्ती।

शेष निवासीगण–अयोध्या पुरवा, थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती।

––––––––––विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–305/2023
धारा–376 भा०दं०सं०, 67 आई०टी० एक्ट
व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट
थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत सत्र वाद थाना हरदत्तनगर गिरण्ट की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–305/2023 धारा–376 भा०दं०सं० व धारा–67 आई०टी० एक्ट व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम पर प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त संस्थित हुआ है। मामला स्त्री के विरूद्ध लैंगिक अपराध से सम्बन्धित है, अतः पीड़िता का नाम उल्लेख न करते हुये निर्णय में उसे "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी गीता देवी पत्नी राम गोपाल ने थानाध्यक्ष हरदत्तनगर गिरण्ट को लिखित तहरीर प्रदर्श–क–1 दिनांक–21–12–2023 को इस आशय से दी कि वह लगभग 07 माह पूर्व अपने पति राम गोपाल का ऑपरेशन करवाने बहराइच गयी थी। उसके घर पर मात्र उसकी पुत्री पीडिता व उसकी बहू सुघरा मौजूद थे। उसी समय उसकी पुत्री पीडिता जंगल से सटे खेत पर गयी थी तो वहीं पर मौजूद प्रतिवादीगण क्रमशः पिन्टू, राहुल व एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री को पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकते की। उसकी पुत्री के चिल्लाने पर

गांव के लोग मौके पर गये तब तक प्रतिवादीगण मौके से फरार हो गये। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उसे वीडियो वायरल होने पर जानकारी मिली तब वह दिनांक–21–12–2023 को सूचना देने आयी है। अतः एफ०आई०आर लिखकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3– वादिनी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट में अभियुक्तगण पिन्टू, राहुल व एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चिक एफ०आई०आर० मुकदमा अपराध संख्या–305/2023 धारा–354 भा०दं०सं० पंजीकृत हुयी तथा मुकदमें का खुलासा कायमी जी०डी० में किया गया।

4– दौरान विवेचना विवेचक ने नकल चिक, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए एफ०आई०आर० लेखक, वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल की नक्शा–नजरी तैयार किया। विवेचक ने पीड़िता बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया। विवेचक ने आगे पीड़िता का बयान धारा–164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया। विवेचक ने पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० के आधार पर धारा–376 भा०दं०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा–67 आई०टी० एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। पीड़िता के उम्र के सम्बन्ध में स्कूल से शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर प्रधानाध्यापक का बयान अंकित किया। अभियुक्त राहुल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा–376 भा०दं०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम एवं अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश व सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ के विरूद्ध धारा–67 आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश(रेप एलांग विद् पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती द्वारा दिनांक–30–03–2024 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–16–08–2024 को अभियुक्त राहुल के विरूद्ध धारा–376 भा०दं०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम एवं अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश व सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ के विरूद्ध धारा–67 आई०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6– राज्य की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्र०सं	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
1–	पी०डब्लू०–1	श्रीमती गीता देवी	प्रथम सूचक
2–	पी०डब्लू०–2	पीडिता	पीडिता
3–	पी०डब्लू०–3	प्रमोद कुमार	परिस्थितिजन्य

4–	पी०डब्लू०–4	रामकिशन	परिस्थितिजन्य
5–	पी०डब्लू०–5	श्रीमती पूनम देवी	परिस्थितिजन्य
6–	पी०डब्लू०–6	प्रताप	परिस्थितिजन्य

7– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान ने निम्नलिखित प्रदर्श को साबित किया हैः–

क्र०सं	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	साक्षी संख्या
1–	प्रदर्श–क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–1
2–	प्रदर्श–क–2	बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं०	पी०डब्लू०–2

8– तत्पश्चात दिनांक–02–04–2026 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्र चिक एफ०आई०आर०, कायमी जी०डी०, आरोप पत्र, नक्शा–नजरी, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की औपचारिकता स्वीकार करते हुए तथ्य से इन्कार किया गया। अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार होने के पश्चात अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए दिनांक–02–04–2026 को ही अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया।

9– अभियुक्तगण ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व झूठा बयान देना बताया तथा गलत तथ्यों के आधार पर विवेचना करके गलत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण ने मुकदमा रंजिशन चलना बताया तथा अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया है। जिस कारण अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर न देते हुए पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

10– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

11– पी०डब्लू–1 प्रथम सूचिका श्रीमती गीता देवी पत्नी राम गोपाल ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से लगभग 02 वर्ष पहले की है। घटना वाले दिन मैं अपने पति राम गोपाल का ऑपरेशन कराने बहराइच गयी थी। घर पर केवल मेरी लड़की पीडिता व मेरी बहू सुधरा मौजूद थी। उसी दिन मेरी बेटी पीडिता जंगल के पास अपने खेत में गयी थी। वहीं पर पहले से ही घात लगाये विपक्षीगण पिन्टू, राहुल जो मेरे गांव के रहने वाले हैं और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को पकड़कर अश्लील हरकत व छेडखानी करने लगा। तब मेरी बेटी ने इसका विरोध किया और शोर मचाया तब आवाज सुनकर गांव के तमाम लोग आ गये और विपक्षी मौके से भाग गया। डर के मारे व लोक लाज के कारण मेरी बेटी ने यह बात घर पर नहीं बताया था। जब घटना के वायरल वीडियों की जानकारी हुयी तब मेरी लड़की ने घटना की सारी बात रो रोकर बतायी। तब मैंने थाने पर दरख्वास्त दी। जिस पर मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। साक्षी को पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–3/4 दिखाकर पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि इस पर मेरे अंगूठे का निशान है। प्रमाणित करती हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–1 डाला गया। घटना के बावत दरोगा जी ने

पूछताछ की थी।"

12– पी०डब्लू०–2 पीडिता ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से 02 साल पहले की है। मेरे पिता का घटना के समय पथरी का ऑपरेशन हुआ था। पिन्टू व प्रमोद के साथ इलाज कराने गये थे। मेरी मां भी साथ में गयी थी। घर पर मै व मेरी भाभी थी। मेरे घर पर गाय पली हुयी है। कुल 03 जानवार है। मैं जानवर चराने खेत में गयी थी। **साक्षी को कागज संख्या ए–7 पढ़कर सुनाया गया तो उसके हस्ताक्षर को दिखाया गया तो कही कि हस्ताक्षर मेरा है। लेकिन यह हस्ताक्षर मैंने सादे कागज पर बनाया था।** महिला सिपाही ने मेरा बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित करते समय मेरा वीडियो बनाया था कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। महिला सिपाही मेरी डॉक्टरी कराने अस्पताल ले गयी थी। **मैंने डॉक्टरी कराने से मना कर दिया था। कागज संख्या ए–8/1 पर लगे टाप मेरे हैं। <u>मेरी जानकारी में मेरा किसी ने कोई वीडियों नहीं बनाया था</u>। <u>मेरी जानकारी में कोई वीडियों वायरल नहीं हुआ था।</u>** मुझे यह जानकारी में नहीं है कि मेरी मां ने पुलिस वालों को वीडियों पेन ड्राइव में दिया था कि नहीं। मेरी मां का बयान पहले हुआ था कि नहीं, मैं नहीं बता पाउंगी। मेरी मां ने अपने बयान में क्या बताया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–27 साक्षी को पढकर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मेरी मां ने पेन ड्राइव या वीडियों विवेचक को दिया था कि नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरा जज साहब के यहां बयान हुआ था। बयान कराने मेरी मां और पट्टीदार तथा महिला सिपाही आये थे। मैं कक्षा–5 तक पढ़ी हूँ। पढ़ना लिखना नहीं जानती हूँ, हस्ताक्षर कर लेती हूँ। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–28 बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह बयान मैंने गांव वालों एवं पट्टीदार के दबाव में दिया था। जिस पर मेरा फोटो व हस्ताक्षर है, प्रमाणित करती हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–2 डाला गया। मेरे बाप मर गये हैं। मेरी मां की गांव टोला में पटती नहीं है, झगड़ा रहता है। जिन लोगों ने दबाव दिया था, उनका नाम इस समय याद नहीं है। सभी पट्टीदार रिश्ते में मेरे बाबा काका लगते हैं। **<u>मैंनें जज साहब को यह बात कि पिन्टू, सुरेश व राहुल ने मेरे साथ बारी–बारी से बलात्कार किया था, दबाव में बताया था जबकि इन लोगों ने मेरे साथ कोई घटना नहीं किया है।</u>**"

13– पी०डब्लू०–3 प्रमोद कुमार पुत्र राम गोपाल ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से 01 साल 09 महीने पहले की है। घटना वाले दिन मैं अपने पिता का ऑपरेशन कराने बहराइच गया था। मेरे घर पर मेरी पत्नी व बहन थी। उस दिन मेरी बहन जंगल से सटे खेत पर गयी थी कि नहीं इसकी जानकारी उसे नहीं है। मैं बहराइच से ऑपरेशन कराकर 17 दिन बाद लौटा था।

जब मैं घर आया तो मेरे घर पर क्या हुआ था, उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। जब मैं लौटकर आया तो मैं आंख कान बंद नहीं किया था। घटना के बारे में लगभग 09 महीना बाद जान पाया था। जब मैं वापस लौटकर आया था तब कहीं बाहर नहीं गया था। घर पर ही था। घटना की सूचना मेरी मां ने थाने पर दी थी। मेरी माता ने किस घटना की तहरीर थाने पर दी थी, इसकी जानकारी उसे नहीं है। मुझे यह नहीं पता है कि अपने पिता की सेवा पानी मैं घर पर ही रहता था कि कही बाहर भी जाता था। मेरे दो बच्चे हैं। उस समय जरूरी मेरे पिता थे। बच्चों की सेवा के लिये उसकी मां थी। मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मुझे इस घटना की जानकारी 09 महीने बाद हुयी थी तब मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। जो दरख्वास्त मेरी मां ने थाने पर दी थी, उसमें घटना मेरी पत्नी या मेरी बहन किसके साथ हुयी थी, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मां ने दरख्वास्त देने के बाद पुलिस वाले मेरी पत्नी या मेरी बहन किसको थाने ले गये थे। इस घटना के 09 महीने बाद मैं आया था। मैं इन 09 महीनों में बम्बई में था। मेरे पिता के ऑपरेशन के कितने दिन पहले मैं बम्बई गया था, याद नहीं है। इस घटना की सूचना मेरे घर पर किसी ने दी थी कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझसे घटना के बारे में पुलिस ने पूछताछ की थी, बयान लिया था।"

14– पी०डब्लू०–4 रामकिशन पुत्र माधवराम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से 01 साल 10 महीने पहले की है। मेरी शादी हुयी थी। शादी के 20 साल बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गयी थी। मेरी तीन लड़कियां है। मैंने एक लड़की की शादी की है। मैं चार भाई हूँ। भुज्जी मेरे गांव के हैं। इनका लड़का राहुल है। गांव में चर्चा थी कि भुज्जी का लड़का राहुल, राम गोपाल की लड़की से आपस में दोस्ती थी। घटना वाले दिन पिन्टू और सुरेश दोनों जंगल की तरफ गये थे। इसके बाद मैं गांव से बाहर चला गया था। जब मैं शाम को लौटकर आया तो मैंने सुना कि गांव के पिन्टू, सुरेश आदि लोगों से आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। बाद में राम गोपाल की पत्नी गीता ने थाने पर दरख्वास्त दी थी। जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस वाले जाँच करने आये थे और मेरा बयान लिया था।"

15– पी०डब्लू०–5 पूनम देवी पत्नी राजकुमार ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "राहुल मेरे गांव के रहने वाले हैं। राहुल राम गोपाल की लडकी से बातचीत करता था। यह मैंने नहीं देखा है। मैं गांव के पिन्टू व उसके साले सुरेश को खेत या जंगल की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। नेहा राम गोपाल की लड़की है। पिन्टू के घर से और गीता के घर से जमीन का विवाद था। इस मुकदमें में पुलिस वालों ने मेरा बयान नहीं लिया था, केवल आधार ले लिया था। "

16– पी०डब्लू०–6 प्रताप पुत्र सालिकराम ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना की तारीख मुझे याद है। राहुल मेरे गांव केर रहने वाले हैं। राहुल के पिता का नाम भुज्जी है। मुझे जानकारी नहीं है कि राम गोपाल की लड़की व राहुल आपस में मिलते जुलते थे। मैंने कभी इन लोगों को मिलते जुलते नहीं देखा है। मैं राम गोपाल की लड़की का नाम नहीं जानता हूँ। मैं सुरेश को जानता हूँ। ये मेरे गांव के रहने वाले है। गीता के घर व पिन्टू के घर से जमीन का विवाद था। घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनायी बात बात रहा हूँ।"

17– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

18– न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है किः–

(i)– क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी?

(ii) क्या अभियुक्त राहुल ने घटना दिनांक को अवयस्क पीड़िता के साथ बलात्संग कारित किया तथा सह अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश एवं सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ ने पीडिता का वीडियो बनाया गया तथा वीडियो को वायरल किया गया?

19– राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि पीड़िता शैक्षिक अभिलेख के अनुसार घटना दिनांक को अवयस्क थी। अभियुक्त राहुल ने घटना दिनांक को अवयस्क पीड़िता के साथ बलात्संग कारित किया तथा सह अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश एवं सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ ने पीडिता का वीडियो बनाया गया तथा वीडियो को वायरल किया गया। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये सशपथ बयान से घटना साबित है। अभियोजन गवाहान ने अपने–अपने बयान में घटना का समर्थन किया है उनके बयान में कोई तात्विक विरोधाभाष नहीं है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व विरचित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

20– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि पीड़िता घटना दिनांक को वयस्क थी। अभियुक्त राहुल ने पीडिता के साथ कोई बलात्संग नहीं किया और न ही सह अभियुक्तगण ने पीडिता का कोई वीडियो बनाया था और न ही वायरल किया था। पीडिता ने न्यायालय में दिये बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० भी घोर विरोधाभाष है और समय–समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयान से घटना साबित है। अभियुक्तगण को प्रश्नगत मामले में रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है।

अभियुक्तगण निर्दोष है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

निस्तारण प्रथम विचारणीय बिन्दुः–

21– तहरीर में वादिनी ने पीड़िता की उम्र के बावत कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में प्राथमिक विद्यालय नौव्वा पुरवा, विकास खण्ड–जमुनहा, श्रावस्ती के प्रधान शिक्षक द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति एकत्र किया है। जिसमें पीडिता की जन्मतिथि 15–07–2009 अंकित है। उक्त अभिलेख की औपचारिकता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी है। ऐसी परिस्थिति में उक्त अभिलेख को किसी साक्षी से साबित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। चिक एफ०आई०आर० में घटना का दिनांक अंकित नहीं है बल्कि तहरीर देने के 07 माह पूर्व की घटना बतायी गयी है। इस प्रकार तहरीर देने के 07 माह पूर्व की घटना मानते हुए शैक्षिक अभिलेख में अंकित पीडिता की जन्मतिथि के आधार पर घटना दिनांक को पीडिता की आयु 13 वर्ष 11 माह 06 दिन होती है। पीडिता के शैक्षिक अभिलेखों की औपचारिकता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य साक्षी ने उक्त अभिलेख को साबित कराया जाना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार पीडिता घटना के समय नाबालिग थी। तद्नुसार प्रथम विचारणीय बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण द्वितीय विचारणीय बिन्दु

22– पी०डब्लू०–1 ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन किया है और बताया है कि वह घटना वाले दिन घर पर नहीं थी अपने पति का ऑपरेशन कराने बहराइच गयी थी। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि घटना का दिन तारीख महीना वह नहीं जानती है। जिस समय की घटना बतायी जाती है, उस दिन वह अपने घर पर नहीं थी। बहराइच गयी थी। 08 दिन बाद अपने घर वापस आयी थी। उससे किसी ने भी घटना के बारे में नहीं बताया था। घर अपने पर भी कोई बात उसकी इस घटना के सम्बन्ध में नहीं हुयी और न किसी ने बताया। घटना कारित होने के बारे में उसे कोई जानकारी आज तक नहीं है और न ही उसने घटना देखी और नहीं घटना के बारे में कुछ जानती है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उसने आज तक कोई वीडियो अपनी आंखों से नहीं देखा है और न ही वीडियो के बारे में कोई जानकारी दी है। अभियुक्तगण पिन्टू, सुरेश व राहुल का घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ कोई घटना कारित करने के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने गांव वालों के दबाव में व कहने पर घटना की एफ०आई०आर० दर्ज करायी थी। तहरीर लिखने के बाद उसे पढ़कर सुनायी नहीं थी

और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसमें क्या लिखा है। उसने तहरीर पर निशानी अंगूठा गांव वालों के कहने पर लगा दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वालों से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुयी है। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। साक्षी ने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० को सुनकर उससे इन्कार किया। यह कहना सही है कि उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने पीडिता के साथ कोई घटना कारित नहीं की है और न ही साक्षी को घटना के बारे में कोई जानकारी है। इस प्रकार साक्षी के बयान से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

23– न्यायालय के आदेश पर पत्रावली में संलग्न पेन ड्राइव को खोलकर चलाकर पी०डब्लू०–1 गवाह को दिखाया गया तो कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीडियों में दिखाई दे रहे दो लड़को को देखकर साक्षी ने कहा कि वह इन लोगों को पहचान नहीं पा रही है। विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा पूछने पर पी०डब्लू०–1 ने बताया कि पिन्टू सिंह व सुरेश व राहुल उसके गांव में रहते हैं। इन लोगों की फोटो व वीडियो देखकर इनको पहचान नहीं पायी थी। वह अपनी लड़की को भी फोटो, वीडियो में पहचान नहीं पायेगी। सामने रहती है तो पहचान लूंगी। उसे वीडियो कहीं से नहीं मिला था। पेन ड्राइव वाला वीडियो उसने दरोगा जी को नहीं दिया था। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछने पर पी०डब्लू०–1 ने जिरह में बताया है कि इस घटना से सम्बन्धित उसने कोई वीडियो आज तक नहीं देखा है। अपनी जानकारी में आज तक उसने कोई वीडियो नहीं देखा है। पेन ड्राइव किसको कहते है, उसने आज तक नहीं सुना है। उसने विवेचक को दौरान विवेचना वीडियो के सम्बन्ध में कोई बात नहीं बतायी थी और न विवेचक ने उससे पूछी थी। दौरान विवेचना उसने विवेचक को कुछ नहीं दिया था। इस मुकदमें में नामित अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ सुरेश, सुरेश व राहुल ने उसकी जानकारी में कोई घटना कारित नहीं की है। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि उसने विवेचक को कोई वीडियो नहीं दी थी और न ही उसने कोई वीडियो देखी थी। साक्षी ने न्यायालय में वीडियो चलाये जाने पर पीडिता एवं अभियुक्तगण को पहचानने से भी इन्कार कर दिया है। साक्षी के उपरोक्त बयान से अभियोजन कथानक साबित नहीं है। उक्त पैन ड्राइव के बावत 65 बी का प्रमाण पत्र भी दाखिल नहीं है और न ही पैन ड्राइव पुलिस कब्जा में लिये जाने की कोई फर्द है।

24– पी०डब्लू०–2 पीडिता ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है और पीडिता को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करते हुए विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा जिरह की गयी है। जिसमें कथन किया गया है कि उसकी गाय पिन्टू के खेत में चली गयी थी जिससे उसमें लगी फसल का नुकसान हो गया था। इसी बात को लेकर उसका और अभियुक्तगण के बीच कहा सुनी व लड़ाई

झगड़ा हुआ था। कोई बचाने नहीं आया था। राहुल, पिन्टू और सुरेश द्वारा न तो उसके साथ कोई छेड़खानी की थी और न ही उसके साथ बलात्कार ही किया था। न्यायालय द्वारा पूछने पर पीडिता ने बताया कि आज जो बयान दे रही है वह सही है। पहले वाला बयान उसने दबाव में दिया था। आज उस पर किसी का दबाव नहीं है। उसकी गाय से अभियुक्त पिन्टू के खेत में फसल का नुकसान हो गया था। इसी वजह से उसका व अभियुक्तगण पिन्टू, राहुल व सुरेश का वाद विवाद हो गया था। पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश व सुरेश उर्फ टीकाराम ने न तो उसका कोई वीडिया बनाया था और न ही वायरल किया था। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर पीडिता ने बताया है कि उसके साथ अभियुक्तगण ने न तो छेडछाड की और न कभी बलात्कार किया था। किसी अभियुक्तगण द्वारा न तो उसका वीडियो बनाया गया था और न वायरल किया गया था। पीडिता के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने न तो पीडिता के साथ छेडछाड की और न ही बलात्कार किया था और न ही अभियुक्तगण ने उसका वीडियो बनाया था और न ही वायरल किया था। इस प्रकार पीडिता के बयान से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित नहीं है।

25– जहाँ तक बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० का प्रश्न है तो पीडिता ने न्यायालय में मुख्य परीक्षा के बयान में ही यह बताया है कि यह बयान उसने गांव वालों एवं पट्टीदारी के दबाव में दिया था। इस प्रकार पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० भी स्वच्छ मन से दिया जाना भी साबित नहीं है। पीडिता ने विवेचक को दिये बयान के विषय में मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसने सादे कागज पर हस्ताक्षर बनाया था। इस प्रकार पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० भी विश्वसनीयता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

26– पी०डब्लू०–3 प्रमोद कुमार जो पीडिता का भाई है, ने भी न्यायालय में मुख्य परीक्षा के बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर साक्षी ने बताया है कि घटना का दिन तारीख, महीना नहीं जानता है। उसकी जानकारी में उसकी बहन के साथ कोई घटना मुल्जिमान द्वारा नहीं की गयी है। उसकी गाय मुल्जिमान के खेत में चली जाती थी और फसल का नुकसान कर देती थी। इसी बात को लेकर उसके परिवार व मुल्जिमान के मध्य आपस में कहा सुनी व झगड़ा हुआ था। आज तक मेरी जानकारी में राहुल, पिन्टू व सुरेश ने उसके घर वालों के साथ कोई गलत व्यवहार या छेडछाड़ नहीं की है। आज तक उसने कोई वीडियो नहीं देखा और न ही उसकी जानकारी में कोई वीडियो वायरल हुआ है। घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। उसने किसी मुल्जिमान का नाम विवेचक को नहीं बताया था उसने कैसे लिख लिया। इसकी वजह वह नहीं बता पायेगा। उसके घर वालों व मुल्जिमान के घर वालों के बीच खेत के

विवाद को लेकर पुरानी रंजिश थी। इसलिए रिश्तेदार व भाई के बहकावे में आकर उसकी मां ने अभियुक्तगण के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करा दी थी। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की है बल्कि यह तथ्य साबित है कि साक्षी की गाय अभियुक्तगण के खेत की फसल का नुकसान कर दी थी। जिसको लेकर वाद विवाद हुआ था और इसी रंजिश को लेकर वादिनी मुकदमा ने गांव वालों व रिश्तेदारों के बहकावे में आकर रंजिश के आधार पर मुकदमा लिखा दिया है।

27– पी०डब्लू०–4 राम किशन पुत्र माधवराम ने भी अपने बयान की मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है बल्कि इस तथ्य को साबित किया है कि गांव के पिन्टू, सुरेश आदि से वादी पक्ष का आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। जिरह में साक्षी ने बताया है कि घटना का दिन तारीख महीना व सन् नहीं जानता है। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राम गोपाल की लड़की की दोस्ती राहुल से थी और न ही उसने किसी को अभियुक्त को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। उसने विवेचक को कोई बात नहीं बतायी थी। उसे घटना के सम्बन्ध में न तो किसी ने कोई बात बतायी थी और न ही घटना के सम्बन्ध में कुछ सुना था। उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। उसने विवेचक को अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई बयान दौरान विवेचना नहीं दिया था। अगर विवेचक ने उसके बयान में अभियुक्तगण का नाम लिख लिया हो तो वह इसकी वजह नहीं बता पायेगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने उसकी मुलाकात नहीं हुयी थी। यह कहना सही है कि घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी के उपरोक्त बयान से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कथानक साबित नहीं होता है।

28– पी०डब्लू०–5 पूनम देवी ने अपने बयान में बताया है कि राहुल उसके गांव के रहने वाले हैं। राहुल राम गोपाल की लड़की से बातचीत करता था, यह उसने नहीं देखा है। वह गांव के पिन्टू व उसके साले सुरेश को खेत या जंगल की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। पिन्टू के घर से और गीता के घर से जमीन का विवाद था। इस मुकदमें में पुलिस वालों ने उसका कोई बयान नहीं लिया था, केवल आधार कार्ड ले लिया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा जिरह की गयी है। जिसमें साक्षी ने बताया है कि गवाह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० को सुनकर कहा कि उसने ऐसा कोई बयान पुलिस वालों को नहीं दिखा था, अगर कोई बयान लिखा है, तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकती है। साक्षी के उपरोक्त बयान से भी कोई कथानक साबित नहीं होता है।

29– पी०डब्लू०–6 प्रताप ने भी अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है और यह बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि राम

गोपाल की लड़की व राहुल आपस में मिलते जुलते थे। उसने कभी इन लोगों को मिलते जुलते नहीं देखा है। मैं रामगोपाल की लड़की को नहीं जानता हूँ। गीत के घर व पिन्टू के घर से जमीन का विवाद था। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनायी बात बता रहा है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विद्वान एस०पी०पी० श्री रोहित गुप्ता द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० को पढ़ सुनकर बताया कि उसने ऐसा कोई बयान पुलिस वालों को नहीं दिया है। यह बयान उन्होंने कैसे लिख लिया। इसकी जानकारी उसे नहीं है।

30– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **उमेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल अपील संख्या–3054/2013 निर्णित दिनांक 05-06–2022** में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय **सरदबिरदी चन्द्र सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 एस०सी०सी० (क्रिमिनल) 487** में अवधारित सिद्धान्त को पुनः दोहराते हुये यह प्रतिपादित किया है कि अपराध जितना गम्भीर हो साक्ष्य का स्तर भी उतना ही ठोस होना चाहिए। प्रस्तुत मामला पॉक्सो अधिनियम एवं बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध के लिए विचारित है। परन्तु जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है वह अत्यन्त विरोधाभाषी एवं विसंगतियों से परिपूर्ण है। पीड़िता का बयान भी *स्टरलिंग* गवाह की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि पीड़िता के बयान से अभियोजन कथानक साबित नहीं है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के भाई व पीडिता की मां के बयान एवं अन्य साक्षीगण के बयान से तथा अन्य साक्ष्य भी पत्रावली इस प्रकार दृष्टिगत है जिसके आधार पर मामला विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। *स्टरलिंग* गवाह ऐसा गवाह होता है जो अभियुक्तगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा चाहे कितनी भी सघन क्यों न हो, उसमें भी स्थिर एवं दृढ़ बने रहे। प्रस्तुत मामले में पीड़िता का साक्ष्य विरोधाभाषी है। इससे भी अभियोजन के विपरीत बनावटी साक्ष्य तैयार करने की उपधारणा को बल मिलता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है और कहानी में बनावटीपन और विसंगतियां स्पष्ट दृष्टिगत हैं। तद्नुसार द्वितीय विचारणीय बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

निष्कर्ष

31– धारा–29 पॉक्सो अधिनियम यह उपधारित करती है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिये अभियोजित किया गया है। वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

32– उक्त के अतिरिक्त धारा 30 पॉक्सो अधिनियम आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा करती है उक्त के अनुसार आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये किसी अभियोजन, में जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसे मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिये यह तथ्य साबित करने के लिये प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन का किसी अपराध के लिये आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता सम्भाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती हो।

33– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **सोनू कनौजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 7 आई०एल०आर०–ए 1174** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि धारा–29 व 30 पॉक्सो अधिनियम की उपधारणा हेतु प्राथमिक रूप से अपराध के मूलभूत तत्वों को साबित करने का दायित्व अभियोजन को उन्मोचित करना आवश्यक है। परन्तु अभियोजन प्रश्नगत मामले में अपराध के मूलभूत तत्वों को साबित करने में असफल रहा है।

34– अतः उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से न्यायालय का मत है कि अभियुक्त राहुल के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–376 भा०दं०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम एवं अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश व सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–67 आई०टी० एक्ट को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण राहुल, पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश व सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित होगा।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–305/2023, थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत अभियुक्त राहुल पुत्र भुज्जी को धारा–376 भा०दं०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो अधिनियम एवं अभियुक्तगण पिन्टू सिंह उर्फ सुरेश पुत्र केवल सिंह एवं सुरेश उर्फ टीकाराम उर्फ बडकउ पुत्र विश्राम को धारा–67 आई०टी० एक्ट अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभू के बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उन्हें उनके जमानत दायित्व से निर्मुक्त किया जाता है। परन्तु अभियुक्तगण द्वारा धारा 437(ए) दं०प्र०सं० प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू के बंधपत्र अगले

06 माह तक प्रभाव में रहेगें।

निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती को धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुक्रम में भेजी जाये।

दिनांक–03–04–2026 (निर्दोष कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–03–04–2026 (निर्दोष कुमार)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।